मीरास का बँटवारा और उसके हक़दार

सम्पादक
मिर्ज़ा सुबहान बेग
अनुवादक
मुहम्मद आबिद हामिदी

विषय-सूची

क्या ?	कहाँ ?
➢ पाठकों से	5
➢ दुआ व तबरीक	7
➢ मीरास के हुक्मों की खिलाफ़वर्ज़ी और उनसे गफ़लत का परिणाम	8
➢ मीरास, उसका उपयोग और बँटवारा	9
➢ मौत के बाद मरनेवाले के तरके (पैतृक सम्पत्ति) से सम्बन्धित हुक्म	9
➢ ज़विल-फ़ुरूज़	10
➢ जिन सूरतों में बाक़ी सात ज़विल-फ़ुरूज़ तरके से वंचित हो जाते हैं, उनकी तफ़सील (विवरण)	11
➢ असबात	12
➢ ज़विल अरहाम	15
➢ तरके का व्यावहारिक बँटवारा	15
➢ ज़विल-फ़ुरूज़ और असबात में तरके के हिस्से निकालने और तरके की सम्पत्ति बाँटने का तरीक़ा	16
➢ असबात में तरके का बँटवारा	22
➢ असबात में तरका के बँटवारे की मिसालें	23
➢ गर्भ (हमल) और मफ़क़ूद के हिस्से	24

➢ ज़विल-अरहाम में तरके का बँटवारा 25
➢ ज़विल-फ़ुरूज़ के हिस्से जो शरीअत में मुक़र्रर हैं 26
➢ कुछ स्पष्टीकरण 30
➢ तकमिला-लिस्सुलुसैन 31
➢ जद्वल (नक़्श) : 2 31
➢ कुछ बहुत ज़रूरी बातें 56

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करनेवाला है।"

पाठकों से

मीरास के बारे में क़ुरआन और सुन्नत के आदेशों पर अमल करना बन्दों के हक़ों से सम्बन्ध रखता है। इन आदेशों की अवहेलना या इन्हें नज़र अन्दाज़ कर देने के सिलसिले में क़ुरआन और हदीस में कठोर यातनाओं से डराया गया है। फिर यह कि मीरास और उसके मसरफ़ और बँटवारे से सम्बन्धित इस्लामी आदेशों और नियमों की विशेष ख़ूबी यह है कि ये ख़ानदान के आन्तरिक स्वामित्व का तथा बहुत-सी अर्थिक और सामाजिक बुराइयों के निवारण का साधन बनते हैं।

आम मुसलमानों को 'मीरास' का सामान्य ज्ञान नहीं है, जबकि यह दीन का तक़ाज़ा है और अब तो हालात का भी तक़ाज़ा है। ज़रूरत है कि मीरास का मसरफ़, हक़दारों में उसके बँटवारे का तरीक़ा और नियम बतानेवाली कोई ऐसी छोटी-सी किताब हो, जो आम और ख़ास लोगों के लिए लाभप्रद होने के साथ आसानी के साथ उपलब्ध भी हो। अतः इस किताब की तैयारी और प्रकाशन की यही ज़रूरत और ग़रज़ है।

यह छोटी-सी किताब अस्ल में मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी (रह०) की किताब 'फ़िक़्ह इस्लामी' और मौलाना मिनहाजुद्दीन मीनाई की किताब 'इस्लामी फ़िक़्ह' के सम्बन्धित विषयों की, और मौलाना सैयद अबुल-आला मौदूदी (रह०) की "तफ़हीमुल-क़ुरआन" के सम्बन्धित फ़ुटनोटों की और विशेष रूप से सैयद शौकत अली (रह०), भूतपूर्व शिक्षक मर्कज़ी दर्सगाह इस्लामी, रामपुर (यू० पी०), की किताब 'मीरास की तक़सीम' का सारांश है।

मैं आदरणीय मुफ़्ती अब्दुर्रहीम क़ासमी (अमीर, मर्कज़ दावत-व-इरशाद-व-इफ़्ता और नाज़िम जामिआ हुसैनिया ख़ैरुलउलूम, भोपाल) का आभारी हूँ कि उन्होंने न सिर्फ़ इस किताब के मुसव्वदे पर नज़रसानी फ़रमाई बल्कि अपने क़ीमती मशविरों और मार्गदर्शन से भी नवाज़ा।

विद्वानों और गणितज्ञों से निवेदन है कि इसमें जो भी कमी या त्रुटि नज़र आए उससे हमें अवगत कराने का कष्ट करें।

—मिर्ज़ा सुबहान बेग

दुआ व तबरीक

"मीरास का बँटवारा और उसके हक़दार" सम्पादक की एक प्रशंसा योग्य और उपहारिक कोशिश है। यह छोटी-सी किताब ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचनी चाहिए।

अल्लाह तआला से दुआ है कि आम और ख़ास लोग इससे लाभान्वित हों और यह सम्पादक के लिए परलोक में मोक्ष और अच्छे बदले का कारण बने। आमीन्!

मुफ़्ती अब्दुर्रहीम क़ासमी

अमीर मर्कज़ दावत व इरशाद व इफ़्ता और

नाज़िम जामिआ हुसैनिया ख़ैरुलउलूम, भोपाल

मीरास के हुक्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी और उनसे ग़फ़लत का परिणाम

क़ुरआन की सूरा-4 अन-निसा की सात से बारह आयतों में तरके या मीरास के मसरफ़ (उपयोग) और बँटवारे से सम्बन्धित सविस्तार आदेशों को बयान करने के तुरन्त बाद तेरह और चौदह आयतों में इन आदेशों और सीमाओं की ख़िलाफ़वर्ज़ी या इनसे ग़फ़लत और लापरवाही बरतनेवालों को परलोक में दर्दनाक अंजाम की ख़बर दी गई है—

> "ये अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाएँ हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा उसे अल्लाह ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और उन बाग़ों में वह हमेशा रहेगा, और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करेगा और उसकी निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन करेगा उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वह हमेशा रहेगा, और उसके लिए अपमान-जनक सज़ा (यातना) है।" (क़ुरआन, 4:13,14)

- अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल॰) ने किसी वारिस को विरासत से वंचित कर देनेवाले आदमी पर जहन्नम वाजिब होने की ख़बर दी है। (हदीसः मुसनद अहमद)
- अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने किसी वारिस को विरासत से महरूम कर देनेवाले आदमी को जन्नत की मीरास से वंचित कर दिए जाने की ख़बर दी है। (हदीसः इब्ने-माज़ा)
- हज़रत उमर (रज़ि॰) ने एक आदमी को अपने बीवियों को विरासत से वंचित करने के फ़ेल (अमल) को लानती फ़ेल क़रार दिया और उससे बलपूर्वक रोका। (हदीसः मुसनद अहमद)
- मीरास से सम्बन्धित आदेशों का सम्बन्ध बन्दों के हक़ों से है और किसी का हक़ न देने या हक़ मार लेने के सिलसिले में क़ुरआन और हदीस में सख़्त डरावे आए हैं। नबी (सल्ल॰) मरज़ुल-मौत

(मृत्युदाई रोग) में ग्रस्त हैं, फिर भी आप (सल्ल॰) लोगो को जमा करके नसीहत करते हैं–

"लोगो! जिसने किसी का हक़ दबा लिया हो वह हक़दार को लौटा दे, वरना परलोक की अपमान-जनक-सख़्त सज़ा के लिए तैयार रहे।"

मीरास, उसका उपयोग और बँटवारा

इस्लामी शरीअत (क़ानून) में तरका या मीरास उस जायदाद या माल को कहते हैं जो किसी ने अपनी मौत के वक़्त छोड़ा हो। शर्त यह है कि उस पर उसका क़ब्ज़ा कानून वैध हो, चाहे वह जायदाद–

- क़ब्ज़े में हो या दूसरे के ज़िम्मे अदा करना वाजिब हो।
- चल हो या अचल (Movable or Immovable)।
- नक़द हो या जिन्स (वस्तु) में हो।

मौत के बाद मरनेवाले के तरके (पैतृक सम्पत्ति) से सम्बन्धित हुक्म

सबसे पहले नीचे लिखे तीन काम किए जाएँ और उनपर तरके में से ख़र्च किया जाए।

1. सबसे पहले मरनेवाले के कफ़न-दफ़न पर उसके तरके में से ख़र्च किया जाए, चाहे कुल तरका उसमें ख़र्च हो जाए लेकिन सन्तुलन का ध्यान रहे।
2. फिर जो कुछ बचे उससे मरनेवाले के ज़िम्मे जो कर्ज़ हो अदा किया जाए, चाहे उसमें कफ़न-दफ़न से जो बचा हो वह सब ख़र्च हो जाए, शर्त यह है कि उन क़र्ज़ों का सम्बन्ध हुक़ूक़ुल इबाद (बन्दों के हक़ों) से हो। ज़कात, नज़र (मन्नत) और कफ़्फ़ारा वग़ैरा तरके में से नहीं दिए जाएँगे। बीवी का मह्र अदा करना बाक़ी हों तो वह भी क़र्ज़ शुमार होगा, जिसका तरके में से अदा करना ज़रूरी है।
3. फिर जो कुछ बचे उससे मरनेवाले की वसीयत पूरी की जाएगी। लेकिन ऐसी वसीयत पूरी नहीं की जाएगी जो–
   - कुल तरक़े की एक तिहाई (1/3) से अधिक हो। (अधिक

वसीयत को कम करके एक तिहाई कर दिया जाएगा।)

- किसी अवैध या हराम काम के लिए हो।
- शरई वारिस के लिए हो जिसे उस तरके में से हिस्सा मिलनेवाला हो।

नोट : अगर एक तिहाई (1/3) से ज़्यादा की वसीयत हो या किसी वारिस के लिए वसीयत हो तो दीगर (अन्य) वारिसों की अनुमति से पूरी की जा सकती है। इसी तरह अगर मरनेवाले ने ज़कात, नज़र, कफ़्फ़ारा वग़ैरा के लिए वसीयत कर दी हो तो वह भी एक तिहाई (1/3) में से पूरी की जाएगी।

कफ़न-दफ़न, क़र्ज़ की अदायगी और वसीयत पूरी करने के बाद जो कुछ बचे, उसको वारिसों में बाँट दिया जाए। पहले मरनेवाले के निकट और दूर के रिश्तेदार, जो जीवित हैं, वारिसों की क़िस्मों के मुताबिक़ उनकी सूची तैयार कर लें। वारिसों की तीन क़िस्में हैं–

(1) ज़विल-फ़ुरूज़ (2) असबात (3) ज़विल-अरहाम

1. ज़विल-फ़ुरूज़

ज़विल-फ़ुरूज़ मरनेवाले के वे रिश्तेदार हैं, जिनके हिस्से शरीअत में निश्चित हैं और जिन्हें उनके हिस्सों के अनुसार मरनेवाले के कफ़न-दफ़न, क़र्ज़ और वसीयत की पूर्ति के बाद जो तरका (सम्पत्ति) बचे उसमें से सबसे पहले दिया जाता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि हर हाल में सभी ज़विल-फ़ुरूज़ तरका पाते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ पाँच ही रिश्तेदार ऐसे हैं जो हर हाल में तरका पाते हैं। बाक़ी दूसरे निकटतम रिश्तेदार वारिस के मौजूद होने की सूरत में तरके से वंचित हो जाते हैं।

ज़विल-फ़ुरूज़ की कुल तादाद बारह है, जिनमें चार मर्द और आठ औरतें हैं–

मर्द– (1) शौहर, (2) बाप, (3) अख़याफ़ी (माँ शरीक) भाई (4) दादा।

औरतें– (1) बीवी, (2) माँ, (3) बेटी, (4) पोती, (5) सगी बहन (6) अल्लाती (बाप शरीक) बहन, (7) अख़याफ़ी (माँ शरीक) बहन, (8) दादी, नानी।

इनमें हर हाल में तरका पानेवाले ये हैं—

(1) शौहर, (2) बीवी, (3) बाप, (4) माँ, (5) बेटी

जिन सूरतों में बाक़ी सात ज़विल-फ़ुरूज़ तरके से वंचित हो जाते हैं, उनकी तफ़सील (विवरण)

नं॰	ज़विल-फ़ुरूज़	कब वंचित हो जाते हैं या तरका नहीं पाते हैं
1	दादा	ज़ब मरनेवाले का बाप मौजूद हो।
2 3	अख़याफ़ी भाई अख़याफ़ी बहन	जब मरनेवाले की औलाद (बेटा, बेटी, पोता, पोती में से कोई) या बाप या दादा मौजूद हों।
4	पोती	जब मरनेवाले का बेटा मौजूद हो। जब मरनेवाले की दो बेटियाँ हों और पोता वग़ैरा मौजूद न हो।
5	सगी बहन	जब मरनेवाले का बेटा या पोता वग़ैरा मौजूद हो। जब मरनेवाले का बाप या दादा वग़ैरा मौजूद हो।
6	अल्लाती बहन	जब मरनेवाले की एक सगी बहन और बेटी या पोती वग़ैरा मौजूद हो। जब मरनेवाले का बेटा या पोता वग़ैरा मौजूद हो। जब मरनेवाले का बाप या दादा वग़ैरा मौजूद हो।

		जब मरनेवाले की दो सगी बहनें मौजूद हों। सिवाय इसके कि अल्लाती बहन के साथ अल्लाती भाई हो।
7	दादी, नानी	जब मरनेवाले का बाप मौजूद हो तो दादी वंचित हो जाएगी लेकिन नानी वंचित नहीं होगी। जब मरनेवाले की माँ मौजूद हो तो दादी-नानी दोनों वंचित हो जाएँगी।

2. असबात

'असबात' मरनेवाले के वे रिश्तेदार हैं जिन्हें शरीअत में वारिस बना दिया गया है, लेकिन उनका कोई निश्चित हिस्सा नहीं है, बल्कि "ज़विल-फ़ुरूज़" में बाँटने के बाद जो कुछ बचे वह सब उनको मिल जाता है। यहाँ भी ध्यान रहे कि उनमें से हर एक हर हाल में तरका नहीं पाता सिवाय बेटे के। बाक़ी किसी दूसरे निकटतम रिश्तेदार वारिस के मौजूद होने की सूरत में तरके से वंचित हो जाते हैं। बेटी, बेटे यानी अपने भाई के साथ असबा बिग़ैरिही होकर लाज़िमी तौर पर तरका पाएगी। लेकिन इस सूरत में ज़विल-फ़ुरूज़ में उसकी गिनती नहीं होगी।

असबात की कुल तादाद निश्चित नहीं है। अलबत्ता औरतों की तादाद निश्चित है जो चार है—

औरतें : (1) बेटी, (2) पोती, (3) सगी बहन, (4) अल्लाती (बाप शरीक) बहन।

मर्द : बाक़ी सब दादिहयाली रिश्तेदार : (1) बेटा, (2) बाप, (3) दादा, (4) पोता, (5) भाई (सगा, और बाप शरीक) (6) भतीजा (7) चचा वग़ैरा।

इन रिश्तेदार वारिसों में से कुछ ज़विल-फ़ुरूज़ और असबात दोनों में

शामिल हैं। नीचे बने टेबल से आसानी के साथ समझा जा सकता है।

नं.	सिर्फ़ ज़विल-फ़ुरूज़	नं.	दोनों में	नं.	सिर्फ़ असबात में (जो सिर्फ़ मर्द ही हैं)
1	शौहर (पति)	1	बेटी	1	बेटा (जो हर हाल में तरका पाता है)
2	अख़याफ़ी (माँ शरीक भाई)	2	पोती	2	पोता
3	बीवी (पत्नी)	3	सगी बहन	3	भाई (सगा और बाप शरीक)
4	माँ	4	अल्लाती (बाप शरीक़) बहन	4	भतीजा
5	अख़याफ़ी (माँ शरीक) बहन	5	बाप	5	चचा
6	दादी या नानी	6	दादा	6	परदादा और ऊपर के
	इनमें से हर हाल में तरका पानेवाले शौहर, बीवी, माँ		इनमें से हर हाल में तरका पानेवाले : बेटी, बाप	7	परपोता और नीचे के
				8	भाई के पोते
				9	चचाज़ाद भाई और नीचे के

				10	बाप का चचा और उसके बेटे
				11	दादा का चचा का और उसके बेटे

मरनेवाले के तरके से बिल्कुल वंचित हो जानेवाले वारिस, चाहे सगी औलाद ही क्यों न हो–

(1) वह वारिस जिसने अपने मूरिस का क़त्ल जान-बूझकर और अत्याचारपूर्ण किया हो (शर्त यह है कि क़त्ल करनेवाला नाबालिग़ और पागल न हो)।

(2) वह वारिस जो मुर्तद हो गया हो यानी दीने इस्लाम से फिर गया हो।

जो वारिस नहीं होते या जिनका विरासत में कोई हक़ नहीं होता–

(1) अगर किसी ने कोई लड़का या लड़की गोद ली और उसकी परवरिश की, तो वह मरनेवाले का वारिस नहीं होता। उसका मरनेवाले के तरके पर कोई हक़ नहीं होगा।

(2) नाजाइज़ औलाद (अवैध सन्तान) यानी ज़िना (व्यभिचार) से पैदा औलाद और ज़ानिया या ज़ानी (व्यभिचारिणी या व्यभिचारी) (जिससे वह औलाद पैदा हुई) मरनेवाले (मर्द या औरत) के तरके से कोई हिस्सा नहीं पा सकते।

(3) सौतेला बाप, सौतेली माँ, सौतेली औलाद, ससुराली रिश्तेदार ससुर, सास, बीवी के भाई वग़ैरा, दामाद, बहू, भावज, चची, मौसा (ख़ालू), बहनोई वग़ैरा। इनमें से कोई भी वारिस नहीं होता क्योंकि इनका नसबी सम्बन्ध दूसरे ख़ानदान से होता है।

3. ज़विल अरहाम

ज़विल अरहाम की कोई तादाद निश्चित नहीं है। मरनेवाले के वे तमाम दादिहाली और ननिहाली रिश्तेदार वारिस होते हैं, जो ज़विल-फ़ुरूज़ और असबात न हों, यानी ऊपर बने टेबुल में दर्ज (लिखे) लोगों के अलावा, मिसाल के तौर पर–

पहला दर्जा : (1) नवासा-नवासी (2) बेटे और पोते के नवासे-नवासी और उनकी औलाद।

दूसरा दर्जा : नाना-परनाना, बाप के नाना-परनाना, माँ के दादा, नाना, दादी-परदादी वग़ैरा।

तीसरा दर्जा : (1) भतीजी, भान्जा, भान्जी और उनकी औलाद, (2) अख़याफ़ी भाई-बहन की औलाद।

चौथा दर्जा : (1) फूफी, ख़ाला (मौसी) मामू (चाहे सगे हों या अल्लाती या अख़याफ़ी) और उन सबकी औलाद, (2) अख़याफ़ी चचा और उनकी औलाद।

तरके का व्यावहारिक बँटवारा

पहले हर वारिस के हिस्से या उनकी निस्बतों की सही संख्या मालूम कर लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 वग़ैरा इन हिस्सों और निस्बतों की सही संख्या यानी 2, 3, 4, 6 वग़ैरा मालूम कर लेनी चाहिए। इसे "सहम" (बहुवचन सिहाम) भी कहते हैं। यानी वह हिस्सा या निस्बत जो सही संख्या में हो। मिसाल के तौर पर, मख़रज (उदमम) 12 से 2, 3, 4, 6 $\frac{2, 3, 4, 6}{12}$

सिहाम निकालने का तरीक़ा निम्नलिखित है–

मिसाल – वारिसों में बाप, बीवी, बेटी, और बेटा हैं

बाप का हिस्सा = 1/6

बीवी का हिस्सा = 1/8

$$\text{कुल योग} = \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{3+4}{24} = \frac{7}{24}$$

बाकी तरक़ा $= 1-\frac{7}{24}=\frac{24-7}{24}=\frac{17}{24}$ (जो बेटे और बेटी में बंटेगा)

बेटे और बेटी के हिस्सों की निस्बतें 1 : 2 = योग 3

बेटे का हिस्सा $\frac{17}{24}\times\frac{2}{3}=\frac{17}{36}$ (बाक़ी तरका × निस्बत ÷ योग)

$= \frac{\text{बाक़ी तरका} \times \text{निस्बत}}{\text{योग}}$, $\frac{17 \times 2}{24 \times 3}=\frac{17}{36}$

बेटी का हिस्सा $\frac{17 \times 1}{24 \times 3}=\frac{17}{72}$ (बाक़ी तरका × निस्बत ÷ योग)

सबके हिस्सों की निस्बत :

बाप	बीवी	बेटी	बेटा		
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{17}{72}$	$\frac{17}{36}$	$= \frac{12+9+17+34}{72}$	= 72

कुल सिहाम = 12+9+17+34 = 72

अब जो भी पैतृक सम्पत्ति होगी उसके 72 हिस्से करके हर एक को उसके हिसाब से देना होगा। सबसे पहले उन पाँच ज़विल-फ़ुरूज़ के हिस्से निकालने चाहिए, जो हर हाल में तरका पाते हैं–

(1) बाप – कुल तरके का कम से कम 1/6 हिस्सा पाता है।

(2) शौहर – कुल तरके का कम से कम 1/4 हिस्सा पाता है।

(3) बीवी – कुल तरके का कम से कम 1/8 हिस्सा पाती है।

(4) माँ – कुल तरके का कम से कम 1/6 हिस्सा पाती है।

(5) बेटी – कुल तरके का कम से कम बेटे का आधा हिस्सा पाती है।

ज़विल-फ़ुरूज़ और असबात में तरके के हिस्से निकालने और तरके की सम्पत्ति बाँटने का तरीक़ा

पहली मिसाल : मरनेवाले के निम्नलिखित वारिस हैं–

बीवी, माँ, बाप, 4 बेटे और 5 बेटियाँ

वारिसों में बीवी, माँ, बाप ज़विल-फ़ुरूज़ हैं और बेटे-बेटियाँ

असबात। इसलिए पहले ज़विल-फ़ुरूज़ के हिस्से निकाले जाएँगे और उन से जो बचेगा वह बेटों और बेटियों में बाँट दिया जाएगा। अगरचे बेटियाँ भी ज़विल-फ़ुरूज़ हैं लेकिन बेटे मौजूद होने के कारण वे असबात हो गईं। इसलिए उन्हें बेटों का आधा मिलेगा। इसी तरह बाप ज़विल-फ़ुरूज़ के अलावा असबा भी होता है लेकिन उस वक़्त जब मरनेवाले की कोई औलाद न हो। चुनाँचे बँटवारा इस तरह होगा—

बीवी का हिस्सा = 1/8 क्योंकि औलाद मौजूद है।
माँ का हिस्सा = 1/6 क्योंकि औलाद मौजूद है।
बाप का हिस्सा = 1/6 क्योंकि बेटे मौजूद हैं।

कुल योग $= \frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3+4+4}{24} = \frac{11}{24}$

बाक़ी तरका $= 1 - \frac{11}{24} = \frac{13}{24}$ (यह असबात यानी बेटों और बेटियों में बँटेगा)

चार बेटों और पाँच बेटियों के हिस्सों की निस्बत 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 = 13 कुल योग

हर बेटे का हिस्सा $\frac{13}{24} \times \frac{2}{13} = \frac{1}{12}$ (बाक़ी तरका × निस्बत ÷ योग)

हर बेटी का हिस्सा $\frac{13}{24} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{24}$ (बाक़ी तरका × निस्बत ÷ योग)

तमाम वारिसों के हिस्सों की निस्बतें—

बीवी	माँ	बाप	बेटा	बेटा	बेटा
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$
बेटा	बेटी	बेटी	बेटी	बेटी	बेटी
$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$

$= \frac{3:4:4:2:2:2:2:1:1:1:1:1}{24}$

सिहाम यानी सही संख्या में हर एक के हिस्से :

3, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1 = कुल हिस्से 24

इस तरह अगर तरके की सम्पत्ति 1440 रुपये हो तो 24 हिस्सों में बाँटकर के एक हिस्सा कितने रुपये का होता है मालूम करें। फिर इस हिसाब से जिसके जितने हिस्से (सिहाम) हों उनकी रक़म उसे दे दी जाए। चुनाँचे ऊपर की मिसाल में तरके का बँटवारा इस तरह होगा—

1440 रुपये के 24 हिस्से = $\frac{1440}{24} = 60$ रु. प्रति हिस्सा—

बीवी का हिस्सा = 60 × 3 = 180 रु.

माँ का हिस्सा = 60 × 4 = 240 रु.

बाप का हिस्सा = 60 × 4 = 240 रु.

चार बेटों का हिस्सा = 60 × 8 = 480 रु. (हर एक को दो हिस्सों के हिसाब से 120 रु.)

पाँच बेटियों का हिस्सा = 60 × 5 = 300 रु. (हर एक को एक हिस्से के हिसाब से 60 रु.)

दूसरी मिसाल : वारिसों में सिर्फ़ बीवी, माँ, बेटी और भाई है। इनमें बीवी, माँ, बेटी ज़विल-फुरूज़ हैं और भाई असबात। इसलिए पहले बीवी, माँ, बेटी को उनके हिस्सों के मुताबिक़ तरका मिलेगा। उनसे जो बचेगा सब भाई को मिल जाएगा।

बीवी का हिस्सा = 1/8, माँ का हिस्सा = 1/6, बेटी का हिस्सा = 1/2

कुल योग = 1/8 + 1/6 + 1/2 = $\frac{3+4+12}{24} = \frac{19}{24}$

भाई का हिस्सा $= 1 - \frac{19}{24} = \frac{24-19}{24} = \frac{5}{24}$

कुल योग = $\frac{19}{24} + \frac{5}{24} = \frac{19+5}{24} = \frac{24}{24} = 1$

हर एक के हिस्सों की निस्बतों के मुताबिक़—

बीवी माँ बेटी भाई

$\frac{1}{8} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \quad \frac{5}{24} = \frac{3+4+12+5}{24} = \frac{24}{24} = 1$

अगर तरके की सम्पत्ति 1440 रुपये हो तो बँटवारा इस तरह होगा—

एक हिस्सा = 1440 ÷ 24 = 60 रु॰

बीवी का हिस्सा = 60 × 3 = 180 रु॰

माँ का हिस्सा = 60 × 4 = 240 रु॰

बेटी का हिस्सा = 60 × 12 = 720 रु॰

भाई का हिस्सा = 60 × 5 = 300 रु॰

कुल योग = 1440 रु॰

तीसरी मिसाल : मरनेवाले के वारिसों में सिर्फ़ बाप, बीवी, माँ और बेटी हैं।

इनमें से सभी ज़विल-फ़ुरूज़ हैं। लेकिन बाप ज़ीफ़र्ज़ भी है और असबा भी, सिर्फ़ बेटी मौजूद होने के कारण, इसलिए तमाम (वह ख़ुद भी) से जो बचेगा वह भी बाप को मिल जाएगा। इस तरह—

बाप का हिस्सा = 1/6 + ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ

बीवी का हिस्सा = 1/8 (मरनेवाले की बेटी मौजूद होने के कारण)

माँ का हिस्सा = 1/6 (मरनेवाले की बेटी मौजूद होने के कारण)

बेटी का हिस्सा = 1/2 (वह अकेली होने के कारण)

कुल योग = $\frac{1}{6}+\frac{1}{8}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{4+3+4+12}{24}=\frac{23}{24}$

बचा हुआ जो बाप को मिलना है : $1-\frac{23}{24}=\frac{1}{24}$

कुल योग = $\frac{23}{24}+\frac{1}{24}=\frac{23+1}{24}=\frac{24}{24}=1$

बाप का योग = $\frac{1}{24}+\frac{1}{6}=\frac{1+4}{24}=\frac{5}{24}$

तमाम वारिसों के हिस्सों की निस्बतें—

बाप बीवी माँ बेटी

$$\frac{5}{24}+\frac{1}{8}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{5+3+4+12}{24}=\frac{24}{24}=1$$

कुल हिस्से (सिहाम) : 5, 3, 4, 12 = 24

सम्पत्ति अगर 1440 रु॰ हो तो बँटवारा इस तरह होगा—

एक हिस्सा : $\frac{1440}{24} = 60$

बाप पाएगा = $60 \times 5 = 300$ रु.

बीवी पाएगी = $60 \times 3 = 180$ रु.

माँ पाएगी = $60 \times 4 = 240$ रु.

बेटी पाएगी = $60 \times 12 = 720$ रु.

कुल योग = 1440 रु.

तरके का बँटवारा सिर्फ़ ज़विल-फ़ुरूज़ में जो 12 हैं—

पहला नियम : पहले जितने भी वारिस हैं उनके हिस्सों का योग मालूम करें, अगर योग एक हो या एक से ज़्यादा हो या एक से कम हो और वारिसों में बीवी या शौहर न हों तो तरके को उनके हिस्सों में बाँट दिया जाए।

दूसरा नियम : अगर तमाम वारिसों के हिस्सों का योग एक से कम हो और उनमें बीवी या शौहर मौजूद हों तो पहले बीवी या शौहर का हिस्सा अलग कर दें। फिर बाक़ी बचे तरके को बचे हुए वारिसों में उनके हिस्सों की निस्बतों के लिहाज़ से बाँट दिया जाएगा।

पहली मिसाल, नियम नं. 1 : (कुल हिस्सों का योग एक (1) होना, वारिसों में शौहर या बीवी का न होना)। वारिसों में दो सगी बहनें, दो अख़याफ़ी बहनें और एक अख़याफ़ी भाई है। बँटवारा इस तरह होगा—

दो सगी बहनों का हिस्सा = 2/3

हर बहन का हिस्सा (1:1 के निस्बत = योग 2) = $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

(निस्बत ÷ योग × कुल हिस्सा)

अख़याफ़ी भाई/बहनों का हिस्सा (एक भाई दो बहनें) = $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

हर एक का हिस्सा (सबको बराबर-बराबर यानी 1:1:1 की निस्बत से = योग 3)

$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ (निस्बत ÷ योग × कुल हिस्सा)

(ध्यान रहे कि तमाम अख़याफ़ी भाई-बहन "औरत को मर्द का

आधा" इस नियम से अलग हैं लिहाज़ा उनको बराबर-बराबर मिलेगा)

सबके हिस्सों का योग $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}+\frac{1}{9}=\frac{9}{9}=1$ (योग पूरा एक) $\frac{1+1+1+3+3}{9}$ योग 9 सिहाम

हर एक के हिस्से की निस्बत का सही अंक (सिहाम) = 3:3:1:1:1 = योग 9 सिहाम

अगर तरके की सम्पत्ति 1440/-रु. है तो उसे 9 हिस्सों में बाँट कर एक हिस्से के हिसाब से, जिसके जितने हिस्से होंगे उतनी रक़म उसे दे दी जाएगी।

दूसरी मिसाल : नियम नं. 1 : (कुल हिस्सों का योग एक (1) से ज़्यादा होना और वारिसों में शौहर, या बीवी का होना), वारिसों में शौहर और दो बहनें हैं। बँटवारा इस तरह होगा–

शौहर का हिस्सा = 1/2 (क्योंकि मरनेवाले की औलाद नहीं है)

दो बहनों का हिस्सा = 2/3 (मरनेवाले की औलाद, बाप, दादा, भाई न होने की सूरत में दो या दो से ज़्यादा बहनें कुल तरके का 2/3 पाती हैं।)

हर बहन का हिस्सा = 1/3

योग $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}=\frac{3+2+2}{6}=\frac{7}{6}$ (योग एक (1) से अधिक है)

यहाँ योग एक से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ भी नियम नं. 1, के अनुसार तरका उन्हीं निस्बतों के लिहाज़ से बँटेगा।

कुल निस्बतें–

शौहर	बहन	बहन	
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$=\frac{3+2+2}{6}=\frac{7}{6}$

कुल सिहाम (हिस्से) 3, 2, 2 = 7 यानी अगर तरके की सम्पत्ति 1440 रु. हो तो उसे 7 हिस्सों में बाँट कर हर एक को उनके हिस्सों (सिहाम) के अनुसार देना होगा।

इसी तरीक़े से हिस्सों का कुल योग एक (1) से कम होने की सूरत में भी तरके का बँटवारा करें।

तीसरी मिसाल/नियम नं॰ 2 : कुल योग एक (1) से कम 1 शौहर या बीवी मौजूद हो।

वारिसों में शौहर, बेटी पोती है। तरके का बँटवारा इस तरह होगा—

शौहर का हिस्सा 1/4 (औलाद है)

बेटी का हिस्सा 1/2 (अकेली है)

पोती का हिस्सा 1/6 (एक बेटी मौजूद है)

कुल योग $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}=\frac{3+6+2}{12}=\frac{11}{12}$ (1 से कम योग)

नियम नं॰ 2 के अनुसार शौहर का हिस्सा अलग करके बाक़ी को बेटी और पोती में 1/2 और 1/6 की निस्बत से बाँट दें।

शौहर का हिस्सा = 1/4

बाक़ी $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

बेटी और पोती की निस्बतें $=\frac{1}{2}:\frac{1}{6}=\frac{1:3}{6}=$ योग 4

बेटी का हिस्सा = $\frac{3}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{9}{16}$ (बाक़ी तरका × निस्बत ÷ योग)

पोती का हिस्सा $=\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{16}$ (निसबत ÷ योग × बाक़ी तरका)

	शौहर	बहन	बहन		
कुल निस्बतें =	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{16}$	$\frac{3}{16}$	=	$\frac{4+9+3}{16}=16$

कुल सिहाम (हिस्से) = 4, 9, 3 = 16

यानी तरके की सम्पत्ति अगर 1440/-रु॰ हो तो उसे बाँटकर हर एक को उनके हिस्सों (सिहाम) के अनुसार दे दें।

असबात में तरके का बँटवारा

असबात में तरके के बँटवारे का एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि निकटतम असबा ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ माल पाता है और दूरवाला इससे वंचित हो जाता है। आसानी के लिए असबात की एक तरतीब नीचे दी जा रही है। इसमें हर पहले नम्बरवाला असबा अपने बादवालों को

मीरास से वंचित कर देगा। पहले दर्जेवाले दूसरे दर्जेवालों को और दूसरे दर्जेवाले तीसरे दर्जेवालों को और तीसरे दर्जेवाले चौथे दर्जेवालों को मीरास से वंचित कर देंगे।

पहला दर्जा : (1) बेटा या बेटे और उनके साथ बेटियाँ। (2) पोता, पोते और उनके साथ पोतियाँ। (3) परपोते और उनके साथ पोतियाँ-परपोतियाँ। (4) इसी तरह नीचे की पुश्त के पोते-पोतियाँ वग़ैरा।

दूसरा दर्जा : (1) बाप, (2) दादा, (3) परदादा, (4) इस तरह ऊपर की पुश्त के परदादा वग़ैरा।

तीसरा दर्जा : (1) सगे भाई-बहन (2) अल्लाती भाई-बहनें (3) सगे भतीजे (4) अल्लाती भतीजे (5) सगे भाई का पोता (6) अल्लाती भाई का पोता (7) सगे भाई का परपोता (8) अल्लाती भाई का परपोता वग़ैरा।

चौथा दर्जा : (1) सगा चचा (2) अल्लाती चचा (3) सगे चचा का बेटा (4) अल्लाती चचा का बेटा (5) सगे चचा का पोता (6) अल्लाती चचा का पोता वग़ैरा (7) बाप का सगा चचा (8) बाप का अल्लाती चचा (9) बाप के सगे चचा का बेटा (10) बाप के अल्लाती चचा का बेटा वग़ैरा।

असबात में तरका के बँटवारा की मिसालें

मिसाल (1) : वारिसों में बाप, भाई और चचा हैं।

चूँकि बाप 'दूसरे दर्जे' का असबा है, भाई 'तीसरे' दर्जे का और चचा 'चौथे' दर्जे का, इसलिए बाप, भाई और चचा को वंचित (महरूम) कर देगा। कुल तरका बाप को मिल जाएगा।

मिसाल (2) : वारिसों में तीन सगे भाई और एक सौतेला भाई है। तीसरे दर्जे के मुताबिक़ सगे भाई, सौतेले भाई को वंचित कर देंगे। कुल तरका तीनों सगे भाइयों में बराबर-बराबर के हिसाब से बँटेगा।

मिसाल (3) : वारिसों में दो बेटे, तीन बेटियाँ, एक भाई और दो बहनें हैं।

चूँकि बेटा और बेटियाँ 'पहले' दर्जे के असबात हैं, भाई और बहनें तीसरे दर्जे के, इसलिए तरका सिर्फ़ बेटों और बेटियों को मिलेगा। भाई और बहनें वंचित हो जाएँगे।

दो बेटों और तीन बेटियों के हिस्सों की निस्बत = 2:2:1:1:1 = 7

यानी कुल तरके के 7 हिस्से किए जाएँगे। हर बेटे को दो हिस्से और हर बेटी को एक हिस्सा मिलेगा।

गर्भ (हमल) और मफ़क़ूद के हिस्से

ध्यान रहे कि तरके में गर्भ और मफ़क़ूद के भी हिस्से निकालकर सुरक्षित रखना ज़रूरी है।

(1) गर्भ के हिस्से : किसी व्यक्ति के मरने के वक़्त ऐसा हो सकता है कि कोई औरत गर्भ से हो, जिसका बच्चा शरई वारिस हो सकता है। इसलिए तरका बाँटते वक़्त उस गर्भ का हिस्सा निकालकर सुरक्षित रखना चाहिए। चूँकि गर्भ के बारे में यह मालूम नहीं होता कि लड़का पैदा होना है या लड़की, इसलिए दोनों हिसाब से हिस्सा मालूम करना चाहिए और हिस्सों का एक ही योग बनाकर मौजूदा वारिसों को जिस बँटवारे में कम मिलता हो, उसके अनुसार दे देना चाहिए। बाक़ी हिस्सों को सुरक्षित रखना चाहिए और जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो सही सूरत के मुताबिक़ बाक़ी तरके का भी बँटवारा कर देना चाहिए।

(2) मफ़क़ूद के हिस्से : जो आदमी ग़ायब हो जाए और किसी तरह यह न मालूम हो सके कि वह ज़िन्दा भी है या नहीं वह 'मफ़क़ूद' (ग़ायब) कहलाता है।

शरई तौर पर मफ़क़ूद (ग़ायब) अपने माल के लिए ज़िन्दा समझा जाएगा और उसका माल उसके वारिसों में उस वक़्त तक नहीं बँटेगा जब तक उसकी मौत का यक़ीन न हो जाए।

किसी की मौत हो जाए और उसके तरके में मफ़क़ूद अगर वारिस हो तो इस सूरत में तरके का बँटवारा हमल (गर्भ) के तरीक़े के मुताबिक़ दो तरह से किया जाएगा। पहला, मफ़क़ूद को जीवित मानकर और दूसरा, उसको मृत मानकर। फिर जिस सूरत में बाक़ी वारिसों को कम हिस्सा मिलता हो, उसके मुताबिक़ उनको देकर बचे हुए तरके को सुरक्षित रखा जाएगा। जब मफ़क़ूद वापस आ जाए या उसके ज़िन्दा होने का सुबूत मिल जाए तो फिर उस बँटवारे के मुताबिक़ सुरक्षित रखे माल को बाँट

दिया जाएगा, वरना मौत का सुबूत मिलने पर उस वक़्त जो वारिस मौजूद होंगे उनमें बाँट दिया जाएगा।

ज़विल-अरहाम में तरके का बँटवारा

(1) जब मरनेवाले के रिश्तेदारों में ज़विल-फ़ुरूज़ और असबात कोई मौजूद न हों तो, ज़विल-अरहाम तरका पाने के हक़दार होते है। अलबत्ता बीवी या शौहर ऐसे ज़विल-फ़ुरूज़ हैं जिनकी मौजूदगी के बावजूद ज़विल-अरहाम तरका पाते हैं। इनसे बचे हुए तरके के हक़दार ज़विल-अरहाम होते हैं। यानी ज़ब कोई ज़ीफ़र्ज़ या असबा न हो या सिर्फ़ बीवी या शौहर हो तब ज़विल-अरहाम वारिस होते हैं। बीवी या शौहर से बचा हुआ तरका उनको मिल जाता

(2) असबात की तरह ज़विल-अरहाम के भी चार दर्जे होते हैं। पहले दर्जे के ज़विल-अरहाम की मौजूदगी में बाक़ी सब वंचित हो जाएँगे। इसी तरह पहले दर्जेवाले न हो तो दूसरे दर्जेवाले बाक़ी दो को वंचित कर देंगे। और दोनों न हों तो तीसरे दर्जेवालों को मिलेगा और चौथे दर्जेवाले वंचित हो जाएँगे। जब पहले तीन दर्जेवाले का कोई न हो तब चौथो दर्जे-वालों को मिलेगा। ऊपर पहले ही ज़विल-अरहाम के तहत आनेवाले रिश्तेदारों की दर्ज़ो सहित तफ़सील दी जा चुकी है।

जदवल (नक़्शा) - 1

ज़विल-फ़ुरूज़ के हिस्से जो शरीअत में मुक़र्रर हैं

ज़विल फ़ुरूज़	शर्तें	हैसियत	हिस्से की निस्बत (Ratio)
1 बाप	• मरनेवाले का बेटा या पोता वग़ैरा मौजूद हो। • मरनेवाले का बेटा या पोता न हो लेकिन बेटी, पोती वग़ैरा हो • मरनेवाले की कोई औलाद न हो	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़ व असबा असबा	1/6 1/6+ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ सब ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ सब
2 शौहर	• मरनेवाले का बेटा या पोता या बेटी या पोती वग़ैरा मौजूद न हों • मरनेवाले का बेटा या पोता या बेटी या पोती वग़ैरा मौजूद हों	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़	1/2 1/4
3 बीवी	• मरनेवाले का बेटा या पोता या बेटी या पोती वग़ैरा मौजूद न हों • मरनेवाले का बेटा या पोता या बेटी या पोती वग़ैरा मौजूद हों	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़	1/4 1/8

4 माँ	• मरनेवाले की औलाद या किसी भी क़िस्म के दो भाई या दो बहनें न हों • मरनेवाले की औलाद या दो भाई-बहन मौजूद हों या मरनेवाले का शौहर और बाप हों दूसरे वारिस न हों • मरनेवाले की बीवी और बाप हों दूसरा वारिस न हो।	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़	1/3 1/6 1/4
5 बेटी	• जब सिर्फ़ एक बेटी हो, बेटा न हो • जब दो या दो से ज़्यादा बेटियाँ हों और बेटा न हो • जब बेटी के साथ बेटा भी हो	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़ असबा बिग़ैरिही	1/2 2/3 में सब बराबर बेटे का आधा
6 दादा परदादा	• अगर मरनेवाले की औलाद पुरुष हो • अगर मरनेवाले की औलाद पुरुष न हो यानी सिर्फ़ बेटी, पोती हों • अगर मरनेवाले की कोई औलाद न हो • अगर मरनेवाले का बाप हो तो दादा • अगर मरनेवाले का बाप न हो, दादा हो तो परदादा	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़ +असबा असबा × ×	1/6 1/6+ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ सब ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ सब कुछ नहीं कुछ नहीं
7-8 अख़याफ़ी	• अगर एक हो और वे वारिस न हों जिनके होने से वह	ज़ी-फ़र्ज़	1/6

(माँ शरीक) भाई-बहन	वंचित हो जाती/हो जाता है। • अगर एक से ज़्यादा हों • अगर मरनेवाले की कोई औलाद हो या बाप या दादा वग़ैरा हों	ज़ी-फ़र्ज़ ×	1/3 में बराबर कुछ नहीं
9 पोती	• अगर एक हो लेकिन बेटी या पोता न हो और न ही वे वारिस हों जिनके होने से वह वंचित हो जाती है • अगर दो या दो से ज़्यादा हों • एक बेटी के साथ एक या एक से ज़्यादा पोतियाँ हों (तीसरे भाग की पूर्ति के तहत) • पोती, पोतियों के साथ पोते या परपोते हों • दो बेटियाँ हों और पोता न हो • बेटा हो तो पोती-पोते और पोता हो तो परपोती-परपोते	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़ असबा बिग़ैरिही × ×	1/2 2/3 में बराबर 1/6 पोतों का 1/2 कुछ नहीं (इसलिए कि दो बेटियों में औरतों का 2/3 ख़त्म हो चुका होगा) कुछ नहीं
10 सगी बहन	• अगर एक हो लेकिन भाई, बेटी, पोती न हों और वे वारिस न हों जिनके होने से वह वंचित हो जाती है। • अगर दो या दो से ज़्यादा हों • सगी बहनों के साथ सगे भाई	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़ असबा	1/2 2/3 में बराबर

	भी हों • बेटी या पोती एक या ज़्यादा के साथ • बेटा या पोता वग़ैरा मौजूद हों • बाप या दादा वग़ैरा मौजूद हों	बिग़ैरिही असबा दूसरों के साथ × ×	भाई का 1/2 ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं
11 अल्लाती या सौतेली (बाप शरीक) बहन	• अगर एक हो लेकिन सगी बहन या बेटी, पोती न हो और न ही वह वारिस हों जिनके होने से वह वंचित हो जाती है • अगर दो या दो से ज़्यादा हों • सौतेली बहनों के साथ सौतेले भाई भी हों • एक सगी बहन ज़ी-फ़र्ज़ के साथ एक या ज़्यादा (तकमिला लिस्सुलुसैन के तहत) • सगी बहन न हो और बेटियाँ या पोतियाँ हों। • एक सगी बहन असबा मअगैरही के साथ • बेटा या पोता वग़ैरा हो • बाप या दादा वग़ैरा हों • दो सगी बहनें हों	ज़ी-फ़र्ज़ ज़ी-फ़र्ज़ अस्बा बिग़ैरिही ज़ी-फ़र्ज़ असबा दूसरों के साथ में × × × ×	1/2 2/3 में बराबर भाई का 1/2 2/3-1/2=1/6 ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नही

12 दादी नानी परदादी परनानी	• अगर एक हो और वे वारिस न हों जिनके होने से वह वंचित हो जाती है	ज़ी-फ़र्ज़	1/6
	• अगर दो या दो से ज़्यादा हों लेकिन बराबर दर्जे की हों	ज़ी-फ़र्ज़	1/6 में बराबर
	• अपने से क़रीबतर रिश्तेवाली दादी के साथ	×	कुछ नहीं
	• माँ हो तो दादी-नानी दोनों	×	कुछ नहीं
	• बाप हो तो दादी (लेकिन नानी नहीं)	×	कुछ नहीं
	• बाप न हो दादा हो तो दादी-नानी	ज़ी फ़र्ज	1/6

कुछ स्पष्टीकरण

• **असबा बिग़ैरिही** : बेटी, पोती, सगी बहन, अल्लाती या सौतेली बहन। इन चार के अलावा और कोई असबा बिग़ैरिही नहीं होता। ये भी उस वक़्त असबा बिग़ैरिही होती हैं, जब उनके भाई उनके साथ मौजूद हों। ये अपने-अपने भाइयों के साथ तरके में शरीक होकर "मर्द को औरत का दो गुना" के उसूल के तहत भाइयों का आधा (1/2) पाती हैं।

• **असबा मअ-ग़ैरिही** : सगी बहन, अल्लाती या सौतेली बहन। इन दो के अलावा कोई और असबा मअ-ग़ैरिही नहीं होता। ये भी उस वक़्त असबा मअ-ग़ैरिही होती हैं, जब उनके भाई न हों लेकिन बेटियाँ या पोतियाँ मौजूद हों। ऐसी सूरत में सगी बहन और सगी बहन न होने की सूरत में अल्लाती बहन ज़विल-फ़ुरूज़ से बचा हुआ सब तरका पाने की हक़दार होती है।

• औलाद में बेटी न होने की सूरत में पोती भी शामिल है। वह बेटी की जगह समझी जाती है। इसी तरह पुर्लिंग औलाद में बेटा न होने की सूरत में पोते परपोते भी शामिल हैं।

• बेटियाँ, सगी बहनें, अल्लाती बहनें, पोतियाँ, इनमें से कोई भी दो

या दो से ज़्यादा औरतों का कुल हिस्सा 2/3 से ज़्यादा नहीं पा सकता, सिवाय इसके कि उनमें से कोई असबा बिग़ैरिही या असबा मअ ग़ैरिही हो या और कोई वारिस मौजूद न हो।

• दो बेटियाँ (अगर पोता न हो तो) पोतियों को वंचित कर देती हैं लेकिन सगी या सौतेली बहनों को वंचित नहीं करतीं। इसी तरह दो सगी बहनें सौतेली बहनों को वंचित कर देती हैं लेकिन पोतियों को नहीं।

तकमिला-लिस्सुलुसैन

अगर मरनेवाले की सिर्फ़ एक बेटी हो और पोती या पोतियाँ हों, या एक सगी बहन हो और सौतेली बहन या बहनें हों तो पोती या सैतेली बहन को तरके का 1/6 मिलेगा। अगर कई हों तो उसी 1/6 में बराबर-बराबर बाँट दिया जाएगा। इसे फ़िक़्ह की परिभाषा में तकमिला-लिस्सुलुसैन कहते हैं। क्योंकि क़ुरआन मजीद में दो या दो से ज़्यादा औरतों का हिस्सा 2/3 रखा गया है। और एक का 1/2। इन दोनों का फ़र्क़ 1/6 होता है।

जदूवल (नक़्शा) : 2

आसानी के लिए नीचे नमूने के तौर पर मुख़तलिफ़ क़िस्म के वारिसों के हिस्से और निस्बतें (अनुपात) दिखानेवाला जदवल दिया जा रहा है—

क्रम सं०	वारिस	कुल तरके में से	
		कितने हिस्सों का हक़दार	तनासुब (Ratio)
1.	शौहर	3	1/4
	दो बेटियाँ	4:4	2/3
	माँ	2	1/6
	कुल हिस्से	**13**	
2.	माँ	1	1/6
	दो सगी बहनें	2:2	2/3
	दो अख़याफ़ी बहनें	1:1	1/3
	कुल हिस्से	**7**	

3.	बीवी माँ बाप दो बेटियाँ	3 4 4 8:8	1/8 1/6 1/6 2/3
	कुल हिस्से	**27**	
4.	शौहर दो सगी बहनें दो अख़याफ़ी बहनें माँ	3 2:2 1:1 1	1/2 2/3 1/3 1/6
	कुल हिस्से	**10**	
5.	बीवी दो सौतेली बहनें माँ अख़्याफ़ी बहन	3 4:4 2 2	1/4 2/3 1/6 1/6
	कुल हिस्से	**15**	
6.	शौहर दो अल्लाती या सौतेली बहनें दादी	3 2:2 1	1/2 2/3 1/6
	कुल हिस्से	**8**	
7.	बीवी माँ दो सगी बहनें दो अख़याफ़ी बहनें नानी	3 2 4:4 2:2 ×	1/4 1/6 2/3 1/3 वंचित
	कुल हिस्से	**17**	

8.	माँ दो बेटियाँ	1 2:2	1/6 2/3
	कुल हिस्से	**5**	
9.	माँ चार बेटियाँ	1 1:1:1:1	1/6 2/3
	कुल हिस्से	**5**	
10.	शौहर अख़्याफ़ी बहन दादी नानी	4 2 1 1	1/2 1/6 + शौहर से बचा हुआ=1/4 1/6 + शौहर से बचा हुआ=1/4 में दोनों बराबर-बराबर
	कुल हिस्से	**8**	
11.	शौहर बेटी माँ नानी	4 9 3 ×	1/4 1/2 + शौहर से बचा हुआ= 9/16 1/6 + शौहर से बचा हुआ= 3/16 वंचित
	कुल हिस्से	**16**	
12.	बीवी बेटी पोती	4 21 7	1/8 1/2+ बीवी से बचा हुआ= 21/32 1/6 + बीवी से बचा हुआ= 7/32
	कुल हिस्से	**32**	

13.	बेटी पोती माँ	3 1 1	1/2 1/6 1/6
	कुल हिस्से	**5**	
14.	बेटी नानी अख़याफ़ी बहन	3 1 ×	1/2 1/6 वंचित
	कुल हिस्से	**4**	
15.	शौहर माँ पोती	4 3 9	1/4 1/6 + शौहर से बचा हुआ= 3/16 1/2 + शौहर से बचा हुआ= 9/16
	कुल हिस्से	**16**	
16.	बीवी बेटी अख़याफ़ी बहन दो पोतियाँ	8 42 × 7:7	1/8 1/2+बीवी से बचा हुआ=21/32 वंचित 1/6+बीवी से बचा हुआ= 7/32
	कुल हिस्से	**64**	
17.	बीवी बेटी पोती बहन	3 12 4 5	1/8 1/2 1/6 5/24
	कुल हिस्से	**24**	

18.	बीवी दो सगी बहनें दादी	3 4:4 2	1/4 2/3 1/6
	कुल हिस्से	**13**	
19.	बीवी बहन दो अख़्याफ़ी बहनें नानी	3 6 2:2 2	1/4 1/2 1/3 1/6
	कुल हिस्से	**15**	
20.	बीवी बहन दो अख़याफ़ी बहनें	3 6 2:2	1/4 1/2 1/3
	कुल हिस्से	**13**	
21.	बीवी बेटी दो बहनें	2 8 3:3	1/8 1/2 दोनों से बचा हुआ=3/16:3/16
	कुल हिस्से	**16**	
22.	माँ तीन सगी बहनें सौतेली बहन सौतेला भाई	3 हर एक को 4 1 2	1/6 2/3 1/18 1/9
	कुल हिस्से	**18**	
23.	बीवी माँ दो बेटियाँ पोती पोता	9 12 24:24 1 2	1/8 1/6 2/3 1/72 2/72
	कुल हिस्से	**72**	

24.	बीवी	3	1/8
	दादी	4	1/6
	पोती	12	1/2
	अख़याफ़ी बहन	×	वंचित
	अल्लाती बहन	5	5/24
	कुल हिस्से	**24**	
25.	शौहर	3	1/2
	दादी	1	1/6
	दो सगी बहनें	2:2	2/3
	भतीजा	×	वंचित
	कुल हिस्से	**8**	
26.	तीन बीवियाँ	हर एक को 3	1/4
	तीन सगी बहने	हर एक को 8	2/3
	तीन अख़याफ़ी बहनें	हर एक को 4	1/3
	दादी	6	1/6
	कुल हिस्से	**51**	
27.	दादा	1	1/6
	दादी	1	1/6
	दो बेटियाँ	2:2	2/3
	कुल हिस्से	**6**	
28.	बाप	5	1/6
	दादी	×	वंचित
	नानी	5	1/6
	पोती	4	2/15
	दो पोते	8:8	4/15:4/15
	कुल हिस्से	**30**	

29.	माँ	1	1/6
	बाप	2	$\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$
	बेटी	3	$\frac{1}{2}$
	बहन	×	वंचित
	भाई	×	वंचित
	कुल हिस्से	**6**	
30.	बाप	1	$\frac{1}{6}$
	नानी	1	$\frac{1}{6}$
	दादी	×	वंचित
	बेटी	3	$\frac{1}{2}$
	पोती	1	$\frac{1}{6}$
	कुल हिस्से	**6**	
31.	बाप	12	1/6
	दादा	×	वंचित
	बेटा	34	17/36
	पोता	×	वंचित
	बेटी	17	17/72
	पोती	×	वंचित
	बीवी	9	1/8
	कुल हिस्से	**72**	

32.	बीवी	3	1/8
	बेटी	12	1/2
	पोती	4	1/6
	सगी बहन	1	1/24
	अख़याफ़ी बहन	×	वंचित
	अल्लाती बहन	×	वंचित
	नानी	4	1/6
	कुल हिस्से	**24**	
33.	शौहर	1	1/4
	बेटी	2	1/2
	चचाज़ाद भाई	×	वंचित
	सगी बहन	1	1/4
	सौतेली बहन	×	वंचित
	कुल हिस्से	**4**	
34.	बीवी	21	1/4
	माँ	14	1/6
	दो अख़याफ़ी भाई	14:14	1/3
	{ दो सगे भाई	6:6	1/7 } बाक़ी ¼ में 2:2:1:1:1की निस्बत से
	तीन सगी बहने	हर एक को 3	3/28
	कुल हिस्से	**84**	
35.	शौहर	3	1/4
	दो पोतियाँ	1:1	1/6
	तीन अख़याफ़ी भाई	×	वंचित
	माँ	2	1/6
	बेटी	6	1/2
	कुल हिस्से	**13**	

36.	दो बीवियाँ माँ दो बहनें	हर एक को 3 4 8:8	1/8:1/8 1/6 1/3:1/3
	कुल हिस्से	**26**	
37.	बेटा भाई चचा	कुल का कुल × ×	कुल वंचित वंचित
	कुल हिस्से	....	
38.	चचाज़ाद भाई भतीजा चचा	× कुल का कुल ×	वंचित कुल वंचित
	कुल हिस्से	....	
39.	बाप चचा भाई	कुल का कुल × ×	कुल वंचित वंचित
	कुल हिस्से	....	
40.	बाप बेटा भाई	1 5 ×	1/6 बाक़ी सब वंचित
	कुल हिस्से	**6**	
41.	बेटा बेटी	2 1	} 2:1
	कुल हिस्से	**3**	
42.	चार बेटे तीन बेटियाँ	हर एक को 2 हर एक को 1	} 2:1
	कुल हिस्से	**11**	

43.	दो बेटे पाँच बेटियाँ	हर एक को 2 हर एक को 1	} 2:1
	कुल हिस्से	**9**	
44.	दो बेटे दो बेटियाँ	हर एक को 2 हर एक को 1	} 2:1
	कुल हिस्से	**6**	
45.	बेटा पाँच बेटियाँ	2 हर एक को 1	} 2:1
	कुल हिस्से	**7**	
46.	पाँच बेटे बेटी दो भाई	हर एक को 2 1	} 2:1 वंचित
	कुल हिस्से	**11**	
47.	शौहर बेटी बेटा	1 1 2	1/4 } 2:1
	कुल हिस्से	**4**	
48.	बीवी बेटा बेटी	3 14 7	1/8 } 2:1
	कुल हिस्से	**24**	
49.	बीवी माँ बेटी बेटा	9 12 17 34	1/8 1/6 } 2:1
	कुल हिस्से	**72**	

50.	शौहर माँ बेटा बेटी	9 6 14 7	1/4 1/6 } 2:1
	कुल योग	**36**	
51.	शौहर दो बेटे बेटी	5 6:6 3	1/4 } 2:1
	कुल हिस्से	**20**	
52.	बीवी दो बेटे बेटी	5 14:14 7	1/8 } 2:2:1
	कुल हिस्से	**40**	
53.	बीवी बाप दो बेटियाँ	3 5 8:8	1/8 5/24 बेटियों और बीवी से बचा हुआ सब 2/3
	कुल हिस्से	**24**	
54.	बीवी माँ बाप	1 1 2	1/4 1/4 1/2 दोनों से बचा हुआ
	कुल हिस्से	**4**	

55.	शौहर माँ बाप	3 1 2	1/2 1/6 1/3
	कुल हिस्से	**6**	
56.	शौहर बाप बेटी	1 1 2	1/4 1/4 1/2
	कुल हिस्से	**4**	
57.	बीवी माँ बाप बेटी	3 4 5 12	1/8 1/6 5/24 1/2
	कुल हिस्से	**24**	
58.	माँ बाप तीन बेटियाँ	3 3 4:4:4	1/6 1/6 $\frac{2}{3}$
	कुल हिस्से	**18**	
59.	शौहर माँ बाप भाई	3 1 2 ×	1/2 1/6 1/3 वंचित
	कुल हिस्से	**6**	

60.	बीवी माँ दो भाई	6 4 7:7	1/4 1/6 7/24:7/24
	कुल हिस्से	24	
61.	शौहर माँ चार भाई	6 2 1:1:1:1	1/2 1/6 हर एक को $\frac{1}{12}$
	कुल हिस्से	12	
62.	बीवी माँ दो बेटे तीन बेटियाँ	21 28 34:34 17:17:17	1/8 1/6 17/84 : 17/84 हर एक को $\frac{17}{168}$
	कुल हिस्से	168	
63.	शौहर माँ चार बेटे तीन बेटियाँ	33 22 14:14:14:14 7:7:7	1/4 1/6 हर एक को $\frac{7}{66}$ हर एक को $\frac{7}{132}$
	कुल हिस्से	132	
64.	बीवी माँ बाप तीन बेटे तीन बेटियाँ	27 36 36 26:26:26 13:13:13	1/8 1/6 1/6 हर एक को $\frac{13}{108}$ हर एक को $\frac{13}{216}$
	कुल हिस्से	216	

65.	बीवी बाप तीन बेटे चार बेटियाँ	30 40 34:34:34 17:17:17:17	1/8 1/6 हर ऐक को $\frac{17}{120}$ हर एक को $\frac{17}{240}$
	कुल हिस्से	**240**	
66.	शौहर माँ दो बेटे पाँच बेटियाँ	27 18 14:14 7:7:7:7:7	1/4 1/6 7/54:7/54 हर एक को 7/108
	कुल हिस्से	**108**	
67.	बीवी माँ बेटी चचा	3 4 12 5	1/8 1/6 1/2 5/24
	कुल हिस्से	**24**	
68.	शौहर माँ बेटी चचा ज़ाद भाई	3 2 6 1	1/4 1/6 1/2 1/12
	कुल हिस्से	**12**	
69.	माँ दादा बेटी	1 2 3	1/6 1/3 1/2
	कुल हिस्से	**6**	

70.	बीवी माँ दादा	3 4 5	1/4 1/3 5/12
	कुल हिस्से	**12**	
71.	शौहर माँ दादा	3 2 1	1/2 1/3 1/6
	कुल हिस्से	**6**	
72.	बीवी माँ बेटी दादा भाई	3 4 12 5 ×	1/8 1/6 1/2 5/24 वंचित
	कुल हिस्से	**24**	
73.	बीवी बेटी दादा बाप अख़याफ़ी भाई	1 4 × 3 ×	1/8 1/2 वंचित 3/8 वंचित
	कुल हिस्से	**8**	
74.	शौहर माँ दो अख़याफ़ी भाई	3 1 1:1	1/2 1/6 1/6:1/6
	कुल हिस्से	**6**	

75.	बीवी	3	1/4
	दादा	5	5/12
	परदादा	×	वंचित
	माँ	4	1/3
	कुल हिस्से	**12**	
76.	शौहर	3	1/2
	माँ	2	1/3
	अख़याफ़ी भाई	1	1/6
	चचा	×	वंचित
	कुल हिस्से	**6**	
77.	बीवी	9	1/4
	माँ	6	1/6
	तीन अख़याफ़ी भाई	4:4:4	$\frac{1}{3}$
	भतीजा	9	1/4
	कुल हिस्से	**36**	
78.	बीवी	3	1/8
	बेटी	7	7/24
	बेटा	14	14/24
	अख़याफ़ी भाई	×	वंचित
	कुल हिस्से	**24**	

79.	बीवी माँ बाप पोती	3 4 5 12	1/8 1/6 5/24 1/2
	कुल हिस्से	**24**	
80.	बीवी माँ पोता पोती	9 12 34 17	1/8 1/6 17/36 17/72
	कुल हिस्से	**72**	
81.	शौहर बेटी पोती चचा	3 6 2 1	1/4 1/2 1/6 1/12
	कुल हिस्से	**12**	
82.	बीवी बेटी दो पोतियाँ भाई	3 12 2:2 5	1/8 1/2 1/6 5/24
	कुल हिस्से	**24**	

83.	शौहर	3	1/4
	माँ	2	1/6
	पोती	×	वंचित
	बेटा	7	7/12
	कुल हिस्से	**12**	
84.	शौहर	9	1/4
	माँ	6	1/6
	बेटी	18	1/2
	पोती	1	1/36
	परपोता	2	1/18
	कुल हिस्से	**36**	
85.	बीवी	9	1/8
	माँ	12	1/6
	तीन पोतियाँ	16:16:16	2/3 ($\frac{2}{9}$ हर एक को)
	भाई	3	1/24
	कुल हिस्से	**72**	
86.	दो पोतियाँ	1:1	1/18:1/18
	दो बेटियाँ	6:6	1/3:1/3
	दो पोते	2:2	2/18:2/18
	कुल हिस्से	**18**	

87.	दो बेटियाँ	2:2	2/3
	दो पोतियाँ	×	वंचित (दो बेटियाँ होने की वजह से)
	दो भाई	1:1	1/3
	कुल हिस्से	**6**	
88.	बीवी	3	1/8
	माँ	4	1/6
	पोता	17	17/24
	दो पर पोतियाँ	×	वंचित (पोता होने की वजह से)
	कुल हिस्से	**24**	
89.	बीवी	3	1/8
	माँ	4	1/6
	बेटी	12	1/2
	बहन	5	5/24
	कुल हिस्से	**24**	
90.	शौहर	1	1/2
	बहन	1	1/2
	कुल हिस्से	**2**	
91.	बीवी	1	1/4
	बहन	1	1/4
	भाई	2	1/2
	कुल हिस्से	**4**	

92.	बीवी बेटी दो बहनें	2 8 3:3	1/8 1/2 3/16:3/16
	कुल हिस्से	**16**	
93.	माँ दो पोतियाँ दो बहनें	2 4:4 1:1	1/6 1/3:1/3 1/12:1/12
	कुल हिस्से	**12**	
94.	बीवी बेटी बेटा बहन	3 7 14 ×	1/8 7/24 7/12 वंचित
	कुल हिस्से	**24**	
95.	माँ बाप बीवी बहन भाई	2 7 3 × ×	1/6 7/12 1/4 वंचित वंचित
	कुल हिस्से	**12**	
96.	शौहर बेटी तीन बहनें	3 6 1:1:1	1/4 1/3 हर एक को $\frac{1}{12}$
	कुल हिंस्से	**12**	

97.	शौहर	5	1/4
	बेटी	10	1/2
	तीन बहनें	1:1:1	हर एक को $\frac{1}{20}$
	एक भाई	2	1/10
	कुल हिस्से	**20**	
98.	माँ	1	1/6
	पोती	3	1/2
	दो बहनें	1:1	हर एक को 1/6
	कुल हिस्से	**6**	
99.	बीवी	3	1/8
	माँ	4	1/6
	सौतेली बहन	5	5/24
	बेटी	12	1/2
	कुल हिस्से	**24**	
100.	शौहर	4	1/2
	दो सौतेली बहनें	1:1	1/8:1/8
	सौतेला भाई	2	1/4
	कुल हिस्से	**8**	
101.	बीवी	9	1/4
	दो सगी बहनें	12:12	1/3:1/3
	सौतेली बहन	1	1/36
	सौतेला भाई	2	1/18
	कुल हिस्से	**36**	

102.	माँ	2	1/6
	सगी बहन	6	1/2
	दो अल्लाती बहनें	1:1	1/12:1/12
	चचा	2	1/6
	कुल हिस्से	**12**	
103.	बाप	5	5/6
	माँ	1	1/6
	दो सगी बहनें	×	वंचित
	दो अल्लाती बहनें	×	वंचित
	अल्लाती भाई	×	वंचित
	कुल हिस्से	**6**	
104.	बीवी	3	1/8
	बेटी	7	7/24
	बेटा	14	7/12
	सगी बहन	×	वंचित
	अल्लाती बहन	×	वंचित
	अख़याफ़ी बहन	×	वंचित
	कुल हिस्से	**24**	
105.	माँ	1	1/6
	दो अख़याफ़ी बहनें	1:1	1/3
	सगी बहन	3	1/2
	कुल हिस्से	**6**	

106.	माँ	1	1/6
	दादा	2	1/3
	सगी बहन	×	वंचित
	बेटी	3	1/2
	दो सौतेली बहनें	×	वंचित
	कुल हिस्से	**6**	
107.	माँ	2	1/6
	दो अख़याफ़ी भाई	1:1	1/12:1/12
	दो अख़याफ़ी बहनें	1:1	1/12:1/12
	सगी बहन	6	1/2
	कुल हिस्से	**12**	
108.	दो सगी बहनें	3:3	1/3:1/3
	तीन अख़याफ़ी बहनें	1:1:1	1/9:1/9:1/9
	कुल हिस्से	**9**	
109.	बीवी	1	1/8
	पोती	4	1/2
	अख़याफ़ी बहन	×	वंचित
	सगी बहन	3	3/8
	अल्लाती बहन	×	वंचित
	कुल हिस्से	**8**	
110.	बीवी	3	1/8
	माँ	4	1/6
	बेटी	12	1/2
	पोती	4	1/6
	सगी बहन	1	1/24
	सौतेली बहन	×	वंचित
	सौतेला भाई	×	वंचित
	कुल हिस्से	**24**	

111.	बीवी नानी बेटी बहन	3 4 12 5	1/8 1/6 1/2 5/24
	कुल हिस्से	**24**	
112.	बीवी माँ दादी बेटी अल्लाती बहन	3 4 × 12 5	1/8 1/6 वंचित 1/2 5/24
	कुल हिस्से	**24**	
113.	बेटी नानी दादी दो भाई	6 1 1 2:2	1/2 1/12 } 1/6 1/12 1/6:1/6
	कुल हिस्से	**12**	
114.	बाप नानी बेटी दादी	2 1 3 ×	1/3 1/6 1/2 वंचित
	कुल हिस्से	**6**	

115.	दादा	2	1/3
	दादी	1	1/6
	बेटी	3	1/2
	बहन	×	वंचित
	कुल हिस्से	**6**	
116.	दादा	1	1/6
	दादी	1	1/6
	परनानी	×	वंचित
	दो बेटियाँ	2:2	2/3
	कुल हिस्से	**6**	
117.	दो सगी बहनें	2:2	2/3
	अख़याफ़ी बहन	1	1/6
	नानी	1	1/6
	परदादी	×	वंचित
	कुल हिस्से	**6**	

कुछ बहुत ज़रूरी बातें

(1) बेटे की मौजूदगी में पोते को विरासत नहीं मिलेगी चाहे वह पोता यतीम ही क्यों न हो, लेकिन जहाँ तक यतीम (अनाथ) पोता-पोती की परवरिश का सवाल है, शरीअत के अनुसार उनके चचा उनके वली (संरक्षक) होते हैं और उनपर उनका हक़ है कि वे उनकी परवरिश का प्रबन्ध करें।

(2) शरीअत ने वसीयत का हुक्म इसलिए दिया है कि अगर कोई मरनेवाला अपना माल छोड़ रहा हो और उसके ख़ानदान में कुछ ज़रूरतमन्द लोग मौजूद हों तो वह उनके हक़ में वसीयत करे। वह अपने माल में से एक तिहाई (1/3) की वसीयत कर सकता है और इसमें यह गुंजाइश मौजूद है कि अगर वह कोई यतीम पोता छोड़ रहा है या कोई बेवा (विधवा) बहू, या कोई बेवा भावज या ग़रीब भाई, या बेवा बहन वग़ैरा छोड़ रहा है तो उनके लिए वसीयत कर जाए।

(3) आप अपनी ज़िन्दगी में अपनी विरासत का बँटवारा नहीं कर सकते। न कोई वारिस आपकी ज़िन्दगी में आपसे विरासत के बँटवारे का मुतालबा (माँग) कर सकता है। अलबत्ता आप किसी वारिस को उसकी ज़रूरत को देखते हुए अपने माल में से कुछ हिबा (दान) कर सकते हैं या उपहार दे सकते हैं।

(4) इसी तरह वसीयत के ज़रीए आप अपनी किसी औलाद को मीरास से महरूम (वंचित) नहीं कर सकते। और न ही किसी औलाद की नालायक़ी और नाफ़रमानी के कारण उसे अपनी मीरास से वंचित करने का कोई तरीक़ा अपनाना उचित है। यह अल्लाह के हुक्मों की ख़िलाफ़वर्ज़ी है।

❑❑❑